

प्रश्न सं. [क. 684]

मध्यप्रदेश शासन  
खेल और युवा कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक

क्रमांक : एफ 2-9/2016/नौ :: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद् आदेश आइटम क्रमांक 5 दिनांक 08/09/2016 में निर्णय के पालन में खेल और युवा कल्याण विभाग के लिए गठित परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 30 मार्च, 2016 में की गई अनुशंसा अनुसार बड़ौदा जिला इयोपुर में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु राशि रु. 159.86 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ मिनी स्टेडियम निर्मित होने के पश्चात संचालन हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 25/07/2016 की कड़िका 4 में वर्णित 04 पदों का आउटसोर्सिंग से सृजन किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 390/699/बी-3/2016 दिनांक 16/08/2016 द्वारा प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(जेड.यू.शेख)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खेल और युवा कल्याण विभाग  
भोपाल, दिनांक 20/09/2016

पृ. क्रमांक एफ 2-9/2016/नौ  
प्रतिलिपि :-

- 1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खेल और युवा कल्याण।
- 2) प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल की : उनकी टीप क्रमांक 3173/16 दिनांक 08/09/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कृपया प्रकरण को मुख्य सचिव महोदय की मॉनिट सूची से विलोपित करने का कार्य करे।
- 3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म.प्र., भोपाल/ग्वालियर।
- 4) संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क (प्रेस प्रकोष्ठ), मंत्रालय भोपाल।
- 6) कोषालय अधिकारी, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 7) मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खेल और युवा कल्याण विभा

